

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 2019-फाल्गुन 10, शके 1940

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम स्वाती सतीश नायर पुत्री श्री सतीश नायर था. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर श्रीमती स्वाती निधिशा पिल्लई पत्नी श्री निधिशा पिल्लई हो गया है. अतः अब मुझे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम श्रीमती स्वाती निधिशा पिल्लई के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
( स्वाती सतीश नायर )

(957-बी.)

नया नाम :

( स्वाती निधिशा पिल्लई )

पता-म. नं.-275, सी.टी.ओ. ओम विद्या मंदिर स्कूल के पास,  
बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.) पिन-462030.

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण हेतु सूचित हो कि मैं, नन्दलाल संकेडिया आत्मज श्री भगवान दास जी संकेडिया, आयु वयस्क, निवासी म. नं. 1037/एन-2, बालाजी मंदिर के पास, डी.-सेक्टर, पिपलानी हज़ूर, भोपाल मध्यप्रदेश घोषणा करता हूँ कि मेरी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र कक्षा 10वीं की अंकसूची में त्रुटिवश मेरा नाम नन्दलाल अंकित हो गया है जो कि अर्द्ध नाम है. अतः मेरा वास्तविक नाम नन्दलाल संकेडिया आत्मज श्री भगवान जी संकेडिया जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से साथ संव्यवहार किया जावे.

पुराना नाम :  
( नन्दलाल )

(960-बी.)

नया नाम :

( नन्दलाल संकेडिया )

#### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम Prashant Kumar था जो कि वर्तमान में बाद बदलकर Prashant Prem Singh हो गया है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम Prashant Prem Singh से जाना व पहचाना जाए.

पुराना नाम :  
( PRASHANT KUMAR )

(961-बी.)

नया नाम :

( PRASHANT PREM SINGH )

पता-H. No. 35, Shivlok Phase-V,  
Deep Nagar, Awadhपुरी, Bhopal-462030.

**CHANGE OF NAME**

This is to be informed to the general public that previously my name was Mrs. Usha Motlani W/o Mr. Vasudev Motlani which is now changed to Mrs. Priya Motlani W/o Mr. Vasudev Motlani from now onwards shall be known only as Mrs. Priya Motlani W/o Mr. Vasudev Motlani.

Old Name:

**( USHA MOTLANI )**

(962-B.)

New Name :

**( PRIYA MOTLANI )**  
3-Triveni Colony Main, Indore.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम जन्म प्रमाण-पत्र में गलती से हेमन्त कुमार लिखा गया है। जबकि मेरा वास्तविक एवं सही नाम हेमन्त तोषनीवाल है तथा आगे से मुझे हेमन्त तोषनीवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

**( हेमन्त कुमार )**

(963-बी.)

नया नाम :

**( हेमन्त तोषनीवाल )**  
पता-बी-9/16, दत्तात्रय नगर,  
रास्तीपुरा, बुरहानपुर (म.प्र.) 450331.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मेरा नाम पूर्व में उमेश कुमार सिंह थानेश्वर कुछ दस्तावेजों में अंकित है। अब दिनांक 26-12-2018 को जारी एफिडेविट द्वारा मेरा नाम परिवर्तन होकर उमेश थानेश्वर पुत्र श्री पूरन सिंह थानेश्वर हो गया है। अतः भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में उमेश थानेश्वर पढ़ा एवं लिखा जावे एवं इसी नाम से मुझे जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

**( उमेश कुमार सिंह थानेश्वर )**

(964-बी.)

नया नाम :

**( उमेश थानेश्वर )**  
पुत्र-श्री पूरन सिंह थानेश्वर,  
पता-एलआईजी 1227, न्यू दर्पण कॉलोनी,  
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

आमजन को सूचित किया जाता है कि मैं, भद्धी बाई मरावी पिता श्री बुधराम सिंह, उम्र 20 वर्ष, जाति गोंड, निवासी आमाखोह, पोस्ट निघोरी, तहसील व जिला डिण्डोरी (म.प्र.) शपथपत्र से प्रमाणित करती हूँ कि मैं इस नाम को बदलकर प्रियांशी मरावी अंग्रेजी (Priyanshi Maravi) रखना चाहती हूँ। अतः आज से मेरा नाम सभी दस्तावेजों में भद्धी बाई मरावी की जगह प्रियांशी मरावी पढ़ा व लिखा जाना जाए। वर्तमान में मैं किसी भी सरकारी संस्था अथवा प्रायवेट संस्था में कार्यरत अथवा अध्ययनरत नहीं हूँ।

पुराना नाम :

**( भद्धी बाई मरावी )**

(965-बी.)

नया नाम :

**( प्रियांशी मरावी )**  
पिता-श्री बुधराम सिंह,  
निवासी-आमाखोह पोस्ट निघोरी,  
तहसील व जिला डिण्डोरी (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती विनीता रहेजा सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. रेखा पंजाबी पुत्री श्री अर्जुन दास पंजाबी (Ku-Rekha Punjabi D/o Arjun Das Punjabi) था। मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 23-04-2000 को श्री जय प्रकाश रहेजा

के साथ हो गया है विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती विनीता रहेजा पत्नी श्री जय प्रकाश रहेजा (Smt. Vinita Raheja W/o Shri Jai Prkash Raheja) हो गया तथा वर्तमान में मुझे इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जबकि मेरे Katwa Udyog Limited के शेरों में मेरा विवाह पूर्व का नाम रेखा पंजाबी (Rekha Punjabi) अंकित है उसके स्थान पर विवाह के पश्चात् का मेरा नाम श्रीमती विनीता रहेजा पत्नी श्री जय प्रकाश रहेजा (Smt. Vinita Raheja W/o Shri Jai Prkash Raheja) मेरे सभी शेरों में लिखा जाये एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :  
( रेखा पंजाबी )

(975-बी.)

नया नाम :  
( विनीता रहेजा )

46, शखी बिहार कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मुझे पूर्व में रितीका रवि टिबरेवाल के नाम से जाना जाता था. जिसे परिवर्तित कर मैंने मेरा नाम रितीका रविशंकर अग्रवाल कर लिया है. मुझे भविष्य में रितीका रविशंकर अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना जावे तथा मेरे शासकीय, अर्धशासकीय दस्तावेजों में भी मुझे रितीका रविशंकर अग्रवाल ही पढ़ा जावे.

पुराना नाम :  
( रितीका रवि टिबरेवाल )  
( RITIKA RAVI TIBREWAL )

(966-बी.)

नया नाम :  
( रितीका रविशंकर अग्रवाल )  
( RITIKA RAVISHANKAR AGARWAL )

निवासी-49/2, एफ-1 फ्लोर, के. के. अपार्टमेंट,  
राजपुरा बुरहानपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर.

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती आंचल जैन, सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. रेणू जैन पुत्री श्री शान्ती लाल जैन (Renu Jain D/o Shanti Lal Jain) था. मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 15-04-2001 को श्री अभिनय कुमार जैन के साथ हो गया है. विवाह पश्चात् मेरा नाम श्रीमती आंचल जैन पत्नी श्री अभिनय कुमार जैन (Smt. Aanchal Jain W/o Shri Abhinay Kumar Jain) हो गया है तथा वर्तमान में मुझे इसी नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जबकि मेरे 3M India LTD. के शेरों में मेरा विवाह पूर्व का नाम रेणू जैन (Renu Jain) अंकित है उसके स्थान पर विवाह के पश्चात् मेरा नाम श्रीमती आंचल जैन पत्नी श्री अभिनय कुमार जैन (Smt. Aanchal Jain W/o Shri Abhinay Kumar Jain) मेरे सभी शेरों में लिखा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :  
( रेणू जैन )

(976-बी.)

नया नाम :  
( आंचल जैन )

कुंदल सोना कुंज, चमेली चौक, सागर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम पुरू भारद्वाज पुत्र श्री महेश भारद्वाज था. मैंने अपना नाम बदलकर शौर्य भारद्वाज रख लिया है. अतः मुझे अब भविष्य में सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे नये नाम शौर्य भारद्वाज से ही जाना, पहचाना एवं उपयोग किया जावे.

पुराना नाम :  
( पुरू भारद्वाज )

(977-बी.)

नया नाम :  
( शौर्य भारद्वाज )

निवासी-28, बालकाशी, ललितपुर कॉलोनी,  
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम साहेब यादव था. जिसे अब मैंने बदलकर सागर यादव कर लिया है. अतः मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नया नाम सागर यादव ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :  
( साहेब यादव )  
पुत्र भारत कुमार यादव.  
(978-बी.)

नया नाम :  
( सागर यादव )  
पुत्र-भारत कुमार यादव,  
70, गायत्री नगर, इन्दौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुमार मंगलम कीजा था जोकि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ था. किन्तु अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर वरुण कीजा कर लिया है. अतः मेरे जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम कुमार मंगलम कीजा लिखा हुआ है उन सभी दस्तावेजों में मेरा नया नाम वरुण कीजा ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( कुमार मंगलम कीजा )

पिता-मदन कुमार कीजा.

नया नाम :

( वरुण कीजा )

पिता-मदन कुमार कीजा,

ई-2, लक्ष्य रिजेंसी, 15/2, ओल्ड पलासिया,  
इन्दौर (म.प्र.).

(979 -बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जयदीप वाडगे है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों (शेयर सर्टिफिकेट) में मेरा घर का बोलता हुआ नाम मनीष वाडगे लिखा गया है. अतः मेरे जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम मनीष वाडगे लिखा हुआ है. उन सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम जयदीप वाडगे ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( मनीष वाडगे )

पिता-हेमचंद्र वाडगे.

नया नाम :

( जयदीप वाडगे )

पिता-हेमचंद्र वाडगे,

10, बैराठी कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(980-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दुर्गेश शर्मा पुत्र श्री आनंद शर्मा, निवासी 83, नगर निगम कॉलोनी, श्री रामलीला मैदान गेट के पास, मुरार ग्वालियर की अंकसूची एवं आधार कार्ड में मेरा नाम दुर्गेश शर्मा पुत्र श्री आनंद शर्मा अंकित है तथा पिता के आधार कार्ड में आनंद पाठक अंकित है. आनंद शर्मा एवं आनंद पाठक एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः भविष्य में मैं, दुर्गेश पाठक पुत्र श्री आनंद पाठक के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाऊंगा.

पुराना नाम :

( दुर्गेश शर्मा )

पुत्र-श्री आनंद शर्मा.

नया नाम :

( दुर्गेश पाठक )

पुत्र-श्री आनंद पाठक,  
निवासी-83, नगर निगम कॉलोनी,  
श्री रामलीला मैदान गेट के पास,  
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(981-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम भारती शर्मा पति महेश शर्मा है. और सभी दस्तावेजों में भी मेरा नाम भारती शर्मा है. भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) की पॉलिसी नम्बर 201900099 में मेरा नाम विश्व भारती हो गया है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम भारती शर्मा है और इसी नाम से मुझे जाना जाये.

पुराना नाम :

( विश्व भारती )

पति-महेश शर्मा.

नया नाम :

( भारती शर्मा )

पति-महेश शर्मा,  
पता-डॉ. राजेश शाक्य के पास,  
त्यागी नगर, मुरार, ग्वालियर.

(982-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश जोशी सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम खगेश्वरी जोशी था जो कि उसके सभी शैक्षणिक शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में अंकित है तथा वर्तमान में मेरी पुत्री का नाम निया जोशी पिता श्री कमलेश जोशी है तथा वही इसी नाम

से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती है और भविष्य में भी व इसी नाम निया जोशी पिता श्री कमलेश जोशी के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जायगी. अतः मेरी पुत्री के सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में उसका नाम खगेश्वरी जोशी के स्थान पर निया जोशी अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

**कमलेश जोशी,**  
33, मोरसरी गली,  
इन्दौर (म.प्र.).

(983 -बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, आशीष कुमार पवार (Ashish Kumar Pawar) पिता राजेश्वर सिंह पवार (Rajeshwar Singh Pawar), निवासी-516, डी-2, डी-सेक्टर, पिपलानी भोपाल मध्यप्रदेश का हूँ. मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष कुमार (Ashish Kumar) पिता राजेश्वर सिंह (Rajeshwar Singh) दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष कुमार पवार (Ashish Kumar Pawar) पिता का नाम राजेश्वर सिंह पवार (Rajeshwar Singh Pawar) दर्ज है. जिन दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष कुमार (Ashish Kumar) पिता राजेश्वर सिंह (Rajeshwar Singh) दर्ज है उसके स्थान पर आशीष कुमार पवार (Ashish Kumar Pawar) पिता राजेश्वर सिंह पवार (Rajeshwar Singh Pawar) पढ़ा एवं लिखा जावे.

पुराना नाम :

( आशीष कुमार )

( ASHISH KUMAR )

नया नाम :

( आशीष कुमार पवार )

( ASHISH KUMAR PAWAR )

(934-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट एण्ड सर्विसेस, पंजीयन क्र. 03/27/03/00038/14, दिनांक 19-05-2014 है. जिसका पंजीकृत पता-172-ए, श्री लक्ष्मी नगर एयरपोर्ट रोड, इन्दौर मध्यप्रदेश है. जिसमें दिनांक 16-02-2019 को भागीदारी फर्म में संशोधन किया गया है. जिसमें श्रीमती कविता चौहान द्वारा अपने निजी कार्यों के चलते उक्त फर्म से सेवानिवृत्ति ले ली गई है व आपसी सहमति से श्री मुकेश पिता श्री तेजराम को नये भागीदार के रूप में फर्म में शामिल किया गया है. साथ ही फर्म का व्यवसाय स्थल भी आपसी सहमति से परिवर्तित करते हुये नया व्यवसाय स्थल-51, पदमालय कॉलोनी, विद्या पैलेस के पास बंगडदा, इन्दौर मध्यप्रदेश किया गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

मेसर्स डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट एण्ड सर्विसेस,  
**जगदीश चौहान,**  
( भागीदार )

172-ए, श्री लक्ष्मी नगर एयरपोर्ट रोड,  
इन्दौर (म.प्र.).

(969-बी.)

### जाहिर सूचना

यह कि मैसर्स तिरुपति इण्टरप्राइजेस, रोड नं. 2, इन्दौरा, नमकीन के पास, कालाखेत मन्दसौर जो कि एक भागीदारी फर्म है तथा जिसका पंजीयन क्रमांक 07/38/01/00105/11, सन् 2010-2011 है. उक्त फर्म में श्री विनोदकुमार पिता श्री बापूलाल गर्ग, श्री राजेशकुमार पिता कारूलाल सोनी एवं श्री अंकित पिता श्री कमल गर्ग भागीदार हैं. उक्त फर्म में श्री मोहन पिता श्री झमटमल मेघनानी को नए भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. अतएव सूचना प्रकाशित है.

For—Tirupati Enterprises,  
**विनोद कुमार गर्ग,**  
( द्वारा-भागीदार ).

(967-बी.)

### NOTICE

( U/s 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932 )

Notice is hereby given that in the firm of M/s Swastik Enterprises, Ratlam registered Office at 40,

Jain Colony, Ratlam (M.P.) a registered partnership firm vide Registration No. 134/1991-92, dated 06-05-1991 with the Registrar of firms, which was constituted vide partnership deed, executed on 19th day of October, 2012 amongst the partners Shri Sanjay Jain S/o Manilal Jain and Smt. Manorama W/o Manilal Jain.

In the above firm the following changes have occurred on 04-02-2019 Shri Sanjay Jain S/o Manilal Jain has been retired and Shri Manilal Jain S/o Jhabbalal Jain entered into Partnership vide Partnership deed executed on 04-02-2019.

For Swastik Enterprises,  
मनोरमा जैन,  
(Partner).

(968-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि RAJENDRA BROTHERS KHANDWA फर्म जिसका पंजीयन क्र. नं. 03/32/01/00099/05, दिनांक 16-11-2005 पर पंजीयन है व जिसका पंजीकृत पता मालवीय कॉलोनी, लाल चौकी, खण्डवा मध्यप्रदेश है में फर्म के भागीदार क्र. 2. श्री राजेन्द्र कुमार का दिनांक 21-11-2006 में स्वर्गवास हो गया था. तदुपरांत उक्त फर्म में दिनांक 22-11-2006 एवं दिनांक 01-04-2018 में किए गए संशोधन निम्नलिखित हैं. दिनांक 22-11-2006 को संशोधित पार्टनरशिप डीड के अनुसार निम्नलिखित संशोधन भागीदारों की आपसी सहमति से किए गये दिनांक 01-04-2018 की संशोधित पार्टनरशिप डीड के अनुसार निम्नलिखित संशोधन भागीदारों की आपसी सहमति से किए गए जो वर्तमान में निरंतर है. संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 22-11-2006 की शर्तों के अनुसार स्व. श्री राजेन्द्र कुमार के स्थान पर उनकी वैध उत्तराधिकारी श्रीमती कविता पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार को आपसी सहमति से दिनांक 22-11-2006 से ही भागीदार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया था. तदुपरान्त संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 22-11-2006 के अनुसार श्री नेमीचंद पुत्र श्री फूलचंद ओसवाल, निवासी लाल चौकी, खण्डवा मध्यप्रदेश एवं श्रीमती कविता पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी मालवीय कॉलोनी, लाल चौकी, खण्डवा मध्यप्रदेश भागीदारों के द्वारा फर्म संचालित की जावेगी संशोधित भागीदारी विलेख दिनांक 01-04-2018 की शर्तों के अनुसार श्री नेमीचंद ओसवाल भागीदारी विलेख से रिटायर्ड हो गए एवं भागीदारी फर्म में दो नये भागीदार श्री अशोक पिता श्री कंछेदीलाल मालवीय एवं श्री प्रवीण पिता श्री कंछेदीलाल मालवीय को फर्म में सम्मिलित किया गया. अतः फर्म वर्तमान स्थिति में निम्नलिखित भागीदार हैं. श्रीमती कविता, श्री अशोक एवं श्री प्रवीण कुमार जिनके द्वारा फर्म संचालित होगी.

कविता,  
पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार  
(भागीदार).

(970-बी.)

### NOTICE

#### ( U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)

Notice is hereby given that the firm "M/s HARISHEEL AGRO BIOTECH" of Bhopal Vide Reg. No. 01/01/01/0193/2018, Dated 05/09/2018 undergone the following changes:-

1. That Shri Arjun Patel S/o Shri Raghuvver Singh Patel has Joined the Partnership and Smt. Anita Khandel W/o Dr. Ashok Kumar Khandel has expressed his desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 23-01-2019.

M/s. Harisheel Agro Biotech,  
MAMTA RAGHUWANSHI,  
(Partner).

G-3/338, E-8, Gulmohar Colony,  
Bhopal.

(971-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मै. सहारा फ्रोजन फूड्स एक पार्टनरशिप फर्म है. जो कि दिनांक 13-04-2018 को निर्मित हुई थी. जिसका फर्म एण्ड सोसायटी रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/0043/18 है. उक्त फर्म में 4 पार्टनर थे जो कि इस प्रकार हैं:-

1. श्री कमल किशोर शर्मा S/o श्री बैजनाथ शर्मा, उम्र 49 वर्ष, निवासी बीएम-183, डी. डी. नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

2. श्री अनिल कुमार शर्मा S/o श्री बैजनाथ शर्मा, उम्र 41 वर्ष, निवासी बीएम-183, डी. डी. नगर, ग्वालियर (म.प्र.).
3. श्री अशोक कुमार शर्मा S/o श्री महाराज दीन शर्मा, उम्र 56 वर्ष, निवासी डी-11, प्रगति विहार, सिल्वर लाईन स्कूल के पास, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).
4. श्री राकेश S/o श्री शंकर लाल, उम्र 53 वर्ष, निवासी सी-29, प्रगति विहार कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

उक्त फर्म में 08-11-2018 के संशोधन संलेख उपरांत उक्त फर्म से पार्टनर क्र. 4 श्री राकेश S/o श्री शंकर लाल पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो गए थे.

अतः संशोधन पत्र दिनांक 08-11-2018 के संशोधन के उपरांत रिटायर हुए पार्टनर का इस फर्म से कोई लेना-देना नहीं है.

उक्त संबंध में समस्त आमखास को सूचित किया जाता है, कि उक्त विषय में कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक अथवा अन्य कोई भी किसी प्रकार का हित रखता है. तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मुझ सूचनादाता को मय सुसंगत दस्तावेजों के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. अन्यथा समय अवधि समाप्त होने के पश्चात् मेरे पक्षकार का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा आपत्ति प्रभावहीन मानी जावेगी.

M/s Sahara Frozen Foods,  
कमल किशोर शर्मा,  
(Partner).

(973-बी.)

#### PUBLIC NOTICE

Know all men that the Shri Jairatnam S/o Shri Appu, has died on 05-03-2011 and as per his will Smt. Aneeta Ratnam W/o Shri Sunil Ratnam, Jai Niwas, Bahoriband, Distt. Katni (M.P.) has been entered in the registered firm M/s Shri Jairatnam (Reg. No. 04/15/01/00110/06, Year 2006-07, Dated 06-12-2006) vide deed dtd. 16-05-2011 *w.e.f.* 05-03-2011. The firm has now two partners as Mr. Sunil Ratnam and Smt. Aneeta Ratnam.

For—M/s Shri Jairatnam,  
**SUNIL RATNAM,**  
(Partner).

(974-B.)

#### PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Awadhiya Petroleum a registered partnership firm (Regn. No- 04/18/01/00361/11, 2010-11) having Office at Main Road, Keolari, District-Seoni. Constitution of the firm was changed due to death of Shri Raghuvir Prasad Awadhiya and joining of Smt. Ritu Awadhiya as a partner. Now the partners of the firm are Shri Akhilesh Awadhiya and Smt. Ritu Awadhiya. This public notice is being published for the purpose of registration of change in constitution of the firm with the Office of Registrar of Firms and Society.

For—M/s Awadhiya Petroleum,  
**AKHILESH AWADHIYA,**  
(Partner).

(985-B.)

#### PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s RAMRAJA DEVELOPERS, CHATARPUR MADHYA PRADESH, having head Office at KishoreSagar Complex, Shop No.1, Jawahar Road, Chatarpur is registered partnership firm.

On 07.09.2018, Shri Ashok Agrawal has been admitted to the partnership. Now the partners of the firm are Shri Ashok Agrawal, Shri Mahendra Agrawal, Shri Devendra Agrawal, Shri Rohit Kumar Soni and Shri Neeraj Kumar Piparsaniya.

This public notice is being published for the purpose of registration of change in composition of the firm with the Office of Registrar of Firms and Society.

For—M/s Ramraja Developers,  
**NEERAJ KUMAR PIPARSANIYA,**  
(Partner).

(984-B.)

### PUBLIC NOTICE

It is inform to all that in our partnership firm M/s SHRI RANG PETROCHEM INDUSTRIES, present Registered Office at 19, Yashwant Niwas Road, Indore M.P. 452001 is registered with the Office of the Assistant Registrar, Firms and Societies, Indore M.P. 452001 vide registration Number IF/43-99-2000, Dated 16-07-1999 amended partnership deed vide 3876/08 dated 27-02-2009 and vide 1682/17, Dated 12-01-2018, the following changes have been taken place:

S.No.	Name of the Partner	Nature of changes	Effective Date
1.	Navinchandra Madhavbhai Patel	Retired Partner	01-01-2019
2.	Sanjeev Kumar Aggarwal	Continue as Partner	--
3.	Surinder Gupta	Continue as Partner	--

It is further inform to all that the registered Office of the firm has changed/shifted to 51/ A, AKVN Industrial area, Meghnagar, Dist. Jhabua M.P. - 457779 from 19, Yashwant Niwas Road, Indore M.P. - 452001 with effect from 01-01-2019.

All the concern parties may take notice of the same.

For—Shri Rang Petrochem Industries,  
**SURINDER GUPTA,**  
(Partner).

(986-B.)

### आम सूचना

### हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम, 1973 क्र. 44 की संस्था 02/43/07/23109/19 द्वारा स्थापित)

- हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम, 1973 क्र. 44 की संख्या-23109/19, के तहत स्थापित और आई. एस. ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित है।
- हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत की गुणवत्ता परिषद वाणिज्य मंत्रालय संख्या-सी.ओ.आर.पी./ऐन.जी.ओ./6257 के द्वारा सदस्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था है।
- हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम, 1973 क्र. 44 के द्वारा रजिस्टर्ड एक शैक्षिक संस्था होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिये स्थापित है।
- हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत सरकार की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के समकक्ष हिन्दी साहित्य विषय के साथ-साथ अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, समाजिक विज्ञान, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, वाणिज्य कला से प्रथमा (हाईस्कूल) मध्यमा (इण्टरमीडियेट) की परीक्षा सम्पन्न करवाता है और अंक पत्र प्रदान करता है।
- हिन्दी साहित्य विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा जारी किये गये अंक पत्र एवं प्रमाण-पत्र अग्रिम उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु या सरकारी नौकरियों के लिये राज्य सरकार/भारत सरकार के सभी संस्थानों में स्वीकार्य किये जावेंगे।

ए. खरे,  
सचिव.

(972-बी.)



## विविध न्यायालयों की सूचनाएं

### न्यायालय पंजीयक लोक न्यास, बुरहानपुर

(नियम पाँच-1 देखिये)

प्र. क्र. /बी/113/2018-19.

जारी दिनांक 06 फरवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत]

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक श्री कृष्ण गीता ज्ञान मंदिर ट्रस्ट (महानुभाव पंथीय) ग्राम आहूखाना, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा श्री महन्त श्रीदत्तराज बाबा गुरु श्री दिवाकर बाबा शास्त्री, निवासी आहूखाना, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 29 फरवरी, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

1. बर्किंग ट्रस्टी एवं सचिव अध्यक्ष श्री महन्त श्रीदत्तराज बाबा गुरु श्री दिवाकर बाबा शास्त्री, निवासी आहूखाना, जिला बुरहानपुर.
2. चल संपत्ति : 1000/-
3. अचल संपत्ति : श्री कृष्ण गीता ज्ञान मंदिर ट्रस्ट (महानुभाव पंथीय) ग्राम आहूखाना आबादी भूमि खसरा नं. 24 रकबा नं. 0.10 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट.

प्रगति वर्मा,  
पंजीयक.

(150)

### न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनीइन्दौर

( फार्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री अशोक कुमार जैन पिता छगनलाल कापडिया, निवासी-25/6, यशवंत निवास रोड, इन्दौर के द्वारा "श्री मनमोहन पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर एवं गुरु मंदिर ट्रस्ट" के पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम-4(2) के तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 05/- का चालान क्रमांक 06, दिनांक 27 दिसम्बर, 2018 प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- |               |   |  |
|---------------|---|--|
| ट्रस्ट का नाम | : | श्री मनमोहन पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर एवं गुरु मंदिर ट्रस्ट. |
| पता           | : | निवासी-25/6, यशवंत निवास रोड, इन्दौर.                        |
| चल संपत्ति    | : | 16128/- रुपये  |
| अचल संपत्ति   | : | बिल्डिंग 59, न्यू देवास रोड, इन्दौर.                         |

आज दिनांक 04 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शाश्वत शर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(151)

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) अनुभाग ( मल्हारगंज ), इन्दौर  
( फार्म-चार )**

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत ]

आवेदक यश पाराशर पिता शिवशंकर पाराशर, पता-312, ए-ब्लॉक समृद्धि अपार्टमेंट श्री रामकमल रेसीडेंसी, गोमटगिरी टेंपल नैनोद, इन्दौर द्वारा “रक्त मित्र इण्डिया फाउण्डेशन” कार्यालय पता-312, ए-ब्लॉक समृद्धि अपार्टमेंट श्री रामकमल रेसीडेंसी गोमटगिरी टेंपल नैनोद, इन्दौर मध्यप्रदेश को पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**परिशिष्ट**

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण )

ट्रस्ट का नाम	:	“रक्त मित्र इण्डिया फाउण्डेशन”.
पता	:	कार्यालय 312, ए-ब्लॉक समृद्धि अपार्टमेंट श्री रामकमल रेसीडेंसी, गोमटगिरी टेंपल नैनोद, इन्दौर.
चल संपत्ति	:	निरंक.
अचल संपत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 29 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

श्रीलेखा श्रोत्रिय,  
रजिस्ट्रार.

(152)

**न्यायालय लोक न्यास पंजीयक/अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), छिन्दवाड़ा**

रा.प्र. क्र. 01/बी-113(4)/2018-19.

दिनांक 29 जनवरी, 2019

**प्ररूप-चार**

[नियम-5 (1) देखिये]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा-2 और  
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) के द्वारा ]

चूंकि श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट (नगर शक्ति पीठ) छिन्दवाड़ा के अध्यक्ष संतोष सोनी पिता विष्णुप्रसाद सोनी, निवासी रघुवंशीपुरा शक्ति चौक दत्रात्रेय मंदिर के पास छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अंदर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

**अनुसूची**

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग
1.	2.	3.	4.
1.	चल सम्पत्ति	1. चांदी के बर्तन/जेवर 2. सोने के जेवर 3. नगद 4537000/-	50 किलो 145 ग्राम 56.210 ग्राम

1.	2.	3.	4.
2.	अचल सम्पत्ति	मौजा छिन्दवाड़ा खास में स्थित नजूल ब्लॉक नम्बर 18 प्लॉट नम्बर 386 रकबा 1158 वर्गफुट.	

ता. पेशी 25 मार्च, 2019

(170)

अतुल सिंह,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमण्डल

#### प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-

वनपरिक्षेत्र अधिकारी आठनेर (सा.) द्वारा पत्र क्र./1131, दिनांक 05 दिसम्बर, 2018 से अवगत कराया गया है कि परिक्षेत्र सहायक बैरमढाना के माध्यम से श्री शिवराज सिंह बैगा वनरक्षक (तत्कालीन बीटगार्ड बागवानी/बैरमढाना/ पूर्व बैरमढाना) को कूप क्रमांक-XI हीरादेही एवं XI फ्लासपानी में टूठ कटाई के हेमर तथा बीट पूर्व बैरमढाना का बीट हेमर आवंटित किया गया था. श्री शिवराज सिंह बैगा, वनरक्षक द्वारा वन भ्रमण के दौरान तीनों हेमर कही गुम हा गये. परिक्षेत्र सहायक बैरमढाना श्री विजयप्रकाश नाडेकर, वनपाल द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2018 को उक्त हेमर गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना आठनेर में दर्ज कराकर सूचना आठनेर वनपरिक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 07-अगस्त, 2018 को एवं श्री शिवराज सिंह बैगा, वनरक्षक द्वारा दिनांक 19-09-2018 को उक्त हेमर गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना आठनेर में दर्ज कराकर सूचना परिक्षेत्र सहायक बैरमढाना के माध्यम से आठनेर वनपरिक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 24 नवम्बर, 2018 को दी गई.

उक्तानुसार गुम हेमरों के मिलने संबंधी कोई सूचना पुलिस थाना आठनेर एवं परिक्षेत्र कार्यालय आठनेर (मोर्शी) से वर्तमान तक प्राप्त नहीं होने की दशा में यह आवश्यक हो गया की इन हेमरों को अपलेखित किया जायें. उपवनमंडलाधिकारी मुलताई (सा.) के पत्र क्र.1872, दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 से उक्तानुसार हेमर गुम होने सूचना एवं इसके लिये उत्तरदायी कर्मचारी श्री शिवराजसिंह बैगा वनरक्षक की 02 वेतन वृद्धि रोधित की जाकर नियमानुसार दण्डित किया जाना प्रस्तावित कर उक्तानुसार तीनों हेमर अपलेखित किये जाने की अनुशांसा की है.

**निष्कर्ष :-**प्रकरण का समग्ररूपेण अध्ययन करने पर हेमर जैसी महत्वपूर्ण शासकीय सामग्री के रखरखाव में लापरवाही बरतना वनरक्षक का कृत्य पाया जाता है.




अतः प्रकरण में आदेश पारित किया जाता है कि:-

बैतूल, दिनांक 13 फरवरी, 2019

क्रमांक/मा.चि/01.- वन वित्तीय नियम की धारा-124 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नांकित आकृति के हेमरों को अपलेखित किया जाता है तथा श्री शिवराज सिंह बैगा (वनरक्षक) बीटगार्ड बागवानी से उक्त हेमरों का मूल्य रूपये 510/- प्रति हेमर (510X3=1530) (एक हजार पाँच सौ तीस रूपये मात्र) एक मुश्त वसूली के आदेश जारी करते हुए उक्त गुमशुदा हेमरों को शासकीय अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. तथा श्री शिवराज सिंह बैगा (वनरक्षक) बीटप्रभारी विशेष कर्तव्य सालबर्डी को शासकीय कार्य में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप 02 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोधित की जाती है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम पुलिस थाने या वन विभाग के कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति के हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुये पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डिक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा.

**हेमरों का चिन्ह :-**



(149)

अशोक कुमार,  
वनमण्डलाधिकारी.

## कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

### “कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/126.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, रंगियापुरा के निर्वाचन दिनांक 14 फरवरी, 2018 को ड्यू हो गया है। संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं संस्था वर्ष 2016-17 में अकार्यशील रही है। जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी.एस./107, दिनांक 26 अगस्त, 1963 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ।

(154)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

### “कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/127.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार विवेकानन्द गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के निर्वाचन दिनांक 24 जनवरी, 2018 को ड्यू हो गया है। संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं संस्था वर्ष 2016-17 में अकार्यशील रही है। जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक ए.आर./व्ही. डी.एस./344, दिनांक 03 जनवरी, 1989 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ।

(155)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/128.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार बहुउद्देश्यीय सँविदा शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा अधिनियम 1960 में संपरिवर्तित होने के पश्चात दिनांक 31 जनवरी, 2017 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं संस्था वर्ष 2016-17 में अकार्यशील रही है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/ डी.आर./व्ही. डी.एस./1076, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ.

(156)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/129.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार जाट समाज सेवा एवं साख सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा अधिनियम 1960 में संपरिवर्तित होने के पश्चात दिनांक 31 जनवरी, 2017 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं संस्था वर्ष 2016-17 में अकार्यशील रही है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/ डी.आर./व्ही. डी.एस./1049, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ.

(157)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/130.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार अग्र महिला बहु. साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा अधिनियम 1960 में संपरिवर्तित होने के पश्चात दिनांक 31 जनवरी, 2017 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं संस्था वर्ष 2016-17 में अकार्यशील रही है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./1073, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ.

(158)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/131.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार सहयोग साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा अधिनियम 1960 में संपरिवर्तित होने के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2015 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./1005, दिनांक 31 मार्च, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ.

(159)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/132.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बेहलोट पंजीयन दिनांक 8 जून, 2016 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. एवं संस्था अकार्यशील है. संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./1043, दिनांक 8 जून, 2016 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ.

(160)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/133.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार महिला बहु. सहकारी संस्था मर्यादित, नहारिया पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. एवं संस्था अकार्यशील है. संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./646, दिनांक 18 नवम्बर, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ.

(161)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/134.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार क्षेत्रीय महिला स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्यादित, सिरोंज पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। एवं संस्था अकार्यशील है। संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./768, दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ।

(162)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/135.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार लक्ष्मी क्षेत्रीय स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्यादित, गंजबासौदा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। एवं संस्था अकार्यशील है। संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ.5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./765, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ।

(163)



विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/136.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मित्र साख सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा पंजीयन दिनांक 24 सितम्बर, 2015 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। एवं संस्था अकार्यशील है। संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./1024, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ।

(164)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/137.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार संचय समाधान साख सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा अधिनियम 1960 में संपरिवर्तित होने के पश्चात दिनांक 30 जनवरी, 2017 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ.5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./1060, दिनांक 30 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ।

(165)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/138.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार अम्बे बहु. साख सहकारी संस्था मर्यादित, गंजबासौदा अधिनियम 1960 में संपरिवर्तित होने के पश्चात दिनांक 27 जनवरी, 2017 से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ.5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./1053, दिनांक 27 जनवरी, 2017 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ.

(166)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

**“कारण बताओ सूचना-पत्र”**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/140.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार माँ भवानी महिला क्षेत्रीय स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्यादित, गंजबासौदा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है. एवं संस्था अकार्यशील है. संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है. इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है. अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बंधी शर्त का अनुपालन नहीं किया है. जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ.5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./764, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ.

(167)

विदिशा, दिनांक 06 फरवरी, 2019

## “कारण बताओ सूचना-पत्र”

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 की उपधारा-3 के अन्तर्गत]

क्र./परि./2019/141.—कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार बेतवा क्षेत्रीय स्व-सहायता समूह विकास सहकारी संस्था मर्यादित, बैस विदिशा पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक निर्वाचन प्रस्ताव अप्राप्त है। एवं संस्था अकार्यशील है। संस्था के द्वारा अधिनियम अनुसार 04 माह पूर्व निर्वाचन कराने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मंडल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मंडल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 48(2) के प्रबंध सम्बन्धी शर्त का अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लिया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ.5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी.एस./877, दिनांक 27 अप्रैल, 2013 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारण से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। इस कारण बताओ सूचना-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर इस कारण बताओ सूचना-पत्र का लिखित उत्तर साक्ष्य सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि उक्त संस्था विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहती है अथवा प्रस्तुत उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है तो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत उसे परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त कर दिया जायेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मैं, अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से आज दिनांक 06 फरवरी, 2019 को जारी करता हूँ।  
(168)

विदिशा, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/2050.—कार्यालय के अंकेक्षण कक्ष एवं निर्वाचन कक्ष की टीप अनुसार सुनीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा विगत 5 वर्षों से अकार्यशील है एवं 'द' वर्ग में वर्गीकृत की गई है। संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असमर्थ रही है। संस्था का निर्वाचन दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को ड्यू हो गया है। संस्था द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालय द्वारा उक्त परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन/2018/72, विदिशा, दिनांक 12 जनवरी, 2018 जारी किया गया था। कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये। संस्था द्वारा आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा संस्था 2017-18 के अंकेक्षण में भी अकार्यशील है जिसके कारण इस सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के अनुसार प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल में निहित होता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक सहकारी संस्था का प्रबंध उसके संचालक मण्डल के द्वारा किया जाता है। अतः संचालक मण्डल का निर्वाचन न करवाकर इस सहकारी संस्था ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-48(2) के प्रबंध सम्बन्धी शर्त का अनुपालन नहीं किया है, जिस कारण इस सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2(सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिये सुनीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। उपरोक्त कारणों से सुनीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) की शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा सुनीता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी. एस./741, दिनांक 06 जून, 2009 को परिसमापन लाये जाने का आदेश देता हूँ तथा श्री एफ. एस. राय, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विदिशा को धारा-70(1) के अंतर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

इस आदेश के विरुद्ध अपील मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है।

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

ए. के. सिंह,  
उप-पंजीयक.

## कार्यालय परिसमापक, दशपुर श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर

मन्दसौर, दिनांक 24 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अन्तर्गत]

दशपुर श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 738, दिनांक 11 सितम्बर, 1995 है. को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दशपुर श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 822/4, मन्दसौर दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, एन. के. अड़ानिया, उप अंकेक्षक सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियों या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह के मध्य मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

(141)

मन्दसौर, दिनांक 24 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुडभेली, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 654 दिनांक 13 अक्टूबर, 1992 है. को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुडभेली, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 822/4, मन्दसौर दिनांक 17 अगस्त, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं एन. के. अड़ानिया, उप अंकेक्षक सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियों या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह के मध्य मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

(142)

मन्दसौर, दिनांक 24 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57(सी) के अन्तर्गत]

शिवा स्वयं सहायता समूह साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, विकासखण्ड मन्दसौर, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक यूजेएन/08, दिनांक 18 जनवरी, 2015 है. को उप/सहायक रजिस्ट्रार द्वारा शिवा स्वयं सहायता समूह साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील मन्दसौर, विकासखण्ड मन्दसौर, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक 1618, मन्दसौर दिनांक 29 सितम्बर, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मैं, एन. के. अड़ानिया, उप अंकेक्षक सहकारिता, जिला मन्दसौर एवं उपरोक्त संस्था का परिसमापक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 क्रमांक-57 (सी) के अन्तर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्तियों या कोई रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 02 माह के मध्य मुझे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर में मय प्रमाण के लिखित प्रस्तुत करें. समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी, सदस्य, सक्षम पदाधिकारी के पास संस्था का रिकार्ड परिसंपत्ति या नगदी हो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

आज दिनांक 24 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया जावेगा.

एन. के. अड़ानिया,

उप अंकेक्षक.

(143)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 मार्च, 2019-फाल्गुन 10 शके 1940

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा. राज्य के निर्म्मांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. -

( अ ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील कैलारस, मुरैना, जौरा ( मुरैना ), अटेर, गोहद, मेहगांव, लहार, मिहोना ( भिण्ड ), डबरा, भिरतवार, घाटीगांव ( ग्वालियर ), दतिया, भाण्डेर ( दतिया ), करैरा, बदरवास ( शिवपुरी ), मुंगावली, अशोकनगर ( अशोकनगर ), आरोन, चांचौड़ा ( गुना ), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, बिजावर, बड़ामल्हारा, जैसीनगर ( छतरपुर ), अजयगढ़, पन्ना, पवई, शाहनगर ( पन्ना ), बीना, बण्डा, सागर, रेहली, देवरी, राहतगढ़, केसली, मालथोन, शाहगढ़ ( सागर ), रघुराजनगर, मझगावां, रामपुर-बघे., नागौद ( सतना ), मऊगंज, हनुमना, त्योंथर ( रीवा ), सोहागपुर, बुढ़ार, गोहपारू, जैतपुर ( शहडोल ), जैतहरी, अनूपपुर ( अनूपपुर ), बांधवगढ़, पाली ( उमरिया ), मझौली, रामपुरनैकिन ( सीधी ), जावद ( नीमच ), पेटलावद ( झाबुआ ), लटेरी, सिरोंज, बासोदा, नटेरन, विदिशा, गुलाबगंज ( विदिशा ), बैरसिया ( भोपाल ), रेहटी, श्यामपुर, बुधनी ( सीहोर ), बावई, पिपरिया ( होशंगाबाद ), कुण्डम, सीहोरा, पाटन, मझौली ( जबलपुर ), बहोरीबंद,ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, मुडवारा, विजयराघोगढ़ ( कटनी ), मण्डला, निवास, नारायणगंज, घुघरी ( मण्डला ), डिण्डोरी ( डिण्डोरी ), घंसौर ( सिवनी ), बारासिवनी, कटंगी, लालबर्गा, तिरोड़ी ( बालाघाट ) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

( ब ) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील सबलगढ़ ( मुरैना ), श्योपुर, विजयपुर ( श्योपुर ), ग्वालियर ( ग्वालियर ), सेवड़ा ( दतिया ), पिछोर, खनियाधाना, नरवर, कोलारस, बैराढ़ ( शिवपुरी ), ईशागढ़, चन्देरी ( अशोकनगर ), गुना, राघोगढ़, बमोरी ( गुना ), गुन्नौर ( पन्ना ), खुरई, गढ़ाकोटा ( सागर ), जबा ( रीवा ), कोतमा ( अनूपपुर ), गोपदबनास, सिंहावल, चुरहट, बहरी, ( सीधी ), शुजालपुर, कालापिपल ( शाजापुर ), खातेगांव ( देवास ), भगवानपुरा ( खरगौन ), संधवा, बरला ( बड़वानी ), कुरवाई, ग्यारसपुर ( विदिशा ), हुजूर ( भोपाल ), सीहोर, इच्छावर, नसरूल्लागंज ( सीहोर ), होशंगाबाद, बनखेड़ी ( होशंगाबाद ), जबलपुर, शाहपुरा ( जबलपुर ), बिछिया, नैनपुर ( मण्डला ), शाहपुरा, बजाग ( डिण्डोरी ), परासिया, सौंसर ( छिन्दवाड़ा ), सिवनी, कुरई ( सिवनी ), बालाघाट, बैहर, परसवाड़ा, विरसा, खैरलांजी, बालाघाट में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

( स ) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:- तहसील कराहल ( श्योपुर ), भिण्ड ( भिण्ड ), शिवपुरी, पोहरी ( शिवपुरी ), कुम्भराज, गुना ( गुना ), मौमनबड़ोदिया, गुलाना ( शाजापुर ), कन्नौद, सतवास ( देवास ), सेगांव, खरगौन ( खरगौन ), पानसेमल, निवाली ( बड़वानी ), आष्टा, जावर ( सीहोर ), सिवनी, मालवा, सोहागपुर ( होशंगाबाद ), उमरैठ ( छिन्दवाड़ा ) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), नीमच (नीमच), जावरा, आलोट, शैलाना, बाजना, ताल, रावटी, पिपलोदा, रतलाम (रतलाम), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), शाजापुर (शाजापुर), सोनकच्छ, टोंकखुर्द, देवास, बागली, हाटपिपल्या, उदयनगर (देवास), बदनावर, सरदारपुर, कुच्छी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी, डही (धार), देपालपुर, सांवेर, इन्दौर, हातोद, महू, अं. नगर, गोतमपुरा (इन्दौर), बड़वाह, महेश्वर, गोगाँवा, कसरावद, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), ठीकरी, राजकोट, पाटी (बड़वानी), पुनासा, खालवा, पंधाना, हरसूद (खण्डवा), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), इटारसी, पचमढी (होशंगाबाद), छिन्दवाड़ा, तामियां, जुन्नारदेव, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, मोहखेड़, हरई, चांद, पांढुर्ना (छिन्दवाड़ा), बरघाट, लखनादोन, छपारा (सिवनी), लांजी, किरनापुर (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई** :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, शहडोल, सीधी, डिण्डोरी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **बोनी**:- जिला मुरैना, व डिण्डोरी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **फसल स्थिति** :-

. .

5. **कटाई** :- जिला अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़, सागर, सतना, रीवा, अनूपपुर, सीधी, उज्जैन, शाजापुर, धार, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, डिण्डोरी में खरीफ फसलों का कटाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

6. **सिंचाई** :-जिला रीवा, शहडोल, उमरिया, नीमच, खरगौन, बडवानी, विदिशा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा मे तथा राज्य के शेष जिलों में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति**:-राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा** :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **बीज**:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	2.4				
4. जौरा	1.4				
5. कैलारस	5.0				
6. सबलगढ़	18.0				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	18.3				
2. कराहल	47.4				
3. विजयपुर	22.2				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	6.0				
2. भिण्ड	35.0				
3. गोहद	16.0				
4. मेहगांव	12.6				
5. लहार	13.3				
6. रौन+मिहोना	5.0				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	32.2				
2. डबरा	7.5				
3. भितरवार	2.2				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	3.0				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) मूँगफली, मूँग कम. धान, उड़द, तिल, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवदा	22.0				
2. दतिया	2.0				
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	1.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	42.0		4. (1) मूँगफली, सोयाबीन अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं	6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	18.0				
3. खनियाधाना	24.0				
4. नरवर	28.0				
5. करैरा	17.0				
6. कोलारस	23.0				
7. पोहरी	37.0				
8. बैराढ़	29.0				
9. बदरवास	6.0				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	14.0		4. (1) उड़द, सोयाबीन अधिक. मक्का, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	18.0				
3. अशोकनगर	15.0				
4. चन्देरी	20.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	34.6		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	20.0				
3. बमोरी	28.0				
4. आरोन	13.0				
5. चाचौड़ा	13.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	53.0				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व कटाई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन, मूँगफली, तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .				
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	2.0				
3. नौगांव	5.0				
4. छतरपुर	6.8				
5. राजनगर	. .				
5. बिजावर	6.0				
6. बड़ा मलहरा	7.0				
9. महाराजपुर	. .				
10. चंदला	. .				
11. धुवारा	. .				
12. लवकुशनगर	15.0				
12. बक्सवाहा	. .				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	2.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	1.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	25.0				
4. पवई	3.0				
5. शाहनगर	6.0				
6. देवेन्द्रनगर	. .				
7. अमानगंज	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. रैपुरा	. .				
<b>12. जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	10.4		4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, तिल,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	20.5		अधिक. ज्वार, मक्का,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	1.0		कोदों-कुटकी, तुअर, मूँग,		
4. सागर	9.0		मूँगफली कम.		
5. रेहली	2.0		(2) उपरोक्त सभी फसलें बिगड़ी		
6. देवरी	11.0		हुई हैं.		
7. गढ़ाकोटा	18.2				
8. राहतगढ़	8.0				
9. कंसली	5.2				
9. मालथोन	5.0				
10. शाहगढ़	2.0				
<b>13.*जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हटा	. .		4.(1) . .	6. . .	8. . .
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. तिली, मूँग, उड़द की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	1.3		4. (1) मूँग, तुअर, मक्का, तिल,	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	6.0		ज्वार समान. धान, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	6.0		सोयाबीन, कोदों-कुटकी कम.		
4. नागौद	7.3		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. दलीय फसलों की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ल्याँथर	. .		4. (1) धान, सोयाबीन, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		उड़द, ज्वार, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	5.4		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. हनुमना	16.2				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	20.0				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुल्लियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	8.0		4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, तिल, सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
3. जयसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	4.0				
5. गोहपारू	12.0				
6. जैतपुर	5.0				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. मक्का कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	14.4		4. (1) सोयाबीन समान. धान, मक्का, उड़द, तिल, कोदों-कूटकी, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	10.0		(2) सभी फसलें समान.		
3. कोतमा	27.8				
4. पुष्पराजगढ़	67.2				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	10.5		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	4.0		(2) . .		
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व मूँग, उड़द की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	19.6		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, उड़द, मूँग, ज्वार, समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	27.0		(2) सभी फसलें समान.		
3. मझौली	2.0				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	22.0				
6. बहरी	20.0				
7. रामपुरनैकिन	2.5				
<b>20. *जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
<b>21. *जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर+दलोदा	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	16.8			4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	139.0			मक्का, उड़द, तुअर, मूँग,	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	..			तिल, ज्वार कम.		
4. जीरन	..			(2) सभी फसलें सुधरी हुई हैं		
5. रामपुर	..					
6. मनासा	97.0					
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	152.0			4.(1) सोयाबीन अधिक. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	149.0			कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	156.0			(2) सभी फसलें सुधरी हुई हैं		
4. बाजना	177.0					
5. ताल	183.0					
6. रावटी	160.2					
7. पिपलोदा	125.0					
8. रतलाम	89.2					
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2	कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	161.0			4. (1) सोयाबीन, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	125.0			मक्का, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	95.0			(2) सभी फसलें समान है.		
4. घटिया	143.0					
5. उज्जैन	87.0					
6. बड़नगर	176.0					
7. नागदा	176.0					
<b>25. *जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	..			4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सुसनेर	..			(2) . .		
3. नलखेड़ा	..					
4. आगर	..					
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2	खरीफ फसल की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	45.0			4. (1) सोयाबीन, उड़द, ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	57.4			मक्का, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	26.0			(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. कालापीपल	25.0					
5. पोलाय कलां	..					
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..					
7. गुलाना	41.0					
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2.	..	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	77.0			4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, मूँग	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	142.0			अधिक. ज्वार, सोयाबीन,	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	139.0			कपास, तिल, मूँगफली कम.		
4. बागली	81.0			(2) सभी फसलें सुधरी हुई हैं		
5. कन्नोद	42.0					
6. हाटपिपल्या	60.0					
7. सतवास	50.0					
8. उदयनगर	79.8					
9. खातेगांव	26.0					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	3.4				
4. रामा	. .				
5. झाबुआ	. .				
6. राणापुर	. .				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		ज्वार, कपास अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .		सोयाबीन कम.		
4. सोंडवा	. .		(2) . .		
5. उदयगढ़	. .				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
7. भामरा	. .				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	115.7		4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	109.0		कपास, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	379.2		(2) सभी फसलें समान हैं.		
4. कुक्षी	65.0				
5. मनावर	110.0				
6. धरमपुरी	75.0				
7. गंधवानी	137.0				
8. डही	70.0				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	180.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. साविर	123.40		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	125.20				
4. हातोद	115.0				
5. महू	98.0				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	85.0		4. (1) धान, मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	116.2		कपास, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	42.0		ज्वार कम.		
4. खरगौन	43.8		(2) . .		
5. गोगावां	88.0				
6. कसरावद	139.0				
7. भगवानपुरा	28.2				
8. भीकनगांव	134.0				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	98.0				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) कपास, मक्का, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	80.0		ज्वार अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	61.0		(2) सभी फसलें सुधरी हुई हैं		
4. सेंधवा	32.0				
5. पानसेमल	36.0				
6. पाटी	57.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	32.0				
9. निवाली	44.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त
1. खण्डवा	373.0		4. (1) सोयाबीन कम.धान, कपास, मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त
2. पुनासा	80.0		(2) . .		
3. खालवा	166.0				
4. पंधाना	166.0				
5. हरसूद	158.0				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	77.0		4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	86.0		(2) सभी फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	125.0				
<b>36.*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. जीरापुर	. .		(2) . .		
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	12.0		4. (1) सोयाबीन, धान, उड़द	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	15.0		(2) धान सुधरी हुई. सोयाबीन, उड़द समान है.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	20.8				
4. बासोदा	17.2				
5. नटेरन	9.0				
6. विदिशा	9.8				
7. गुलाबगंज	12.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	30.0				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	13.3		4. (1) सोयाबीन अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	19.4		धान, ज्वार, मक्का कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	. .		(2) सभी फसलें समान हैं.		
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूँग की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	22.2		4. (1) मक्का, उड़द अधिक. गन्ना, धान समान. सोयाबीन, ज्वार, मूँग, मोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	44.0		(2) सभी फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	27.0				
4. नसरूल्लागंज	34.0				
5. रेहटी	17.0				
6. श्यामपुर	10.0				
7. जावर	50.0				
8. बुधनी	15.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. *जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2.	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
<b>41.*जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भैंसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
<b>42.जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मूँग, उड़द, की कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	25.8		4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	35.0		तुअर, उड़द, गन्ना कम.		
3. बावई	14.0		(2) उड़द, बिगड़ी हुई.		
4. इटारसी	58.8		शेष फसलें समान हैं.		
5. सोहागपुर	38.0				
6. पिपरिया	6.4				
7. बनखेड़ी	19.4				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	113.6				
<b>43. *जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. उड़द व मूँग की कटाई तथा मक्का की तुड़ाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	22.4		4. (1) धान, मक्का, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	16.1		तुअर, सोयाबीन, मूँग कम.		
3. सीहोरा	3.8		(2) तुअर बिगड़ी हुई मक्का समान.		
4. पाटन	4.6		शेष फसलें सुधरी हुई हैं.		
5. मझौली	14.1				
6. शाहपुरा	30.0				
7. पनागर	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	9.2		4. (1) धान कम. मक्का, तिल, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	2.0		(2) तिल, तुअर सुधरी हुई.		
3. रीठी	9.0		धान, मक्का समान.		
4. बड़वारा	5.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	4.0				
6. विजयराघवगढ़	2.5				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>46.*जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. नरसिंहपुर	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गोटेगांव	..			(2) ..		
3. करेली	..					
4. गाडरवारा	..					
5. तेंदूखेड़ा	..					
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	4.8			4. (1) मक्का, धान, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	28.5			तुअर, उडुद समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	19.8			(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं		
4. निवास	6.6					
5. नारायणगंज	8.7					
6. घुघरी	8.6					
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2	जुताई, बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	5.8			4. (1) धान, मक्का, उडुद,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	21.8			सोयाबीन, तिल, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	31.4			कोदों-कुटकी समान.		
				(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
<b>49. जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	73.4			4. (1) मक्का, धान अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	93.0			मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	24.2			सोयाबीन कम.		
4. जामई	64.4			(2) सभी फसलें समान है.		
5. सोंसर	32.0					
6. बिछुआ	172.8					
7. अमरवाड़ा	74.6					
8. चौरई	228.2					
9. उमरेठ	48.2					
10. मोहखेड	161.0					
11. हरई	64.8					
12. चांद	161.9					
13. पांडुर्णा	68.3					
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	32.0			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	53.2			(2) ..	चारा पर्याप्त	
3. कुरई	20.0					
4. केवलारी	..					
5. लखनादोन	67.0					
6. छपारा	61.6					
7. धनोरा	..					
8. घंसोर	8.0					
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	21.8			4. (1) धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	73.4			(2) धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	78.6					
4. बैहर	20.0					
5. वारासिवनी	11.2					
6. कटंगी	5.3					
7. लालबर्सा	3.0					
8. तिरोडी	16.0					
9. परसवाड़ा	24.4					
10. बिरसा	26.4					
11. खैरलाँजी	20.0					

\*जिला:- जिला दमोह, सिंगरौली, मन्दसौर, आगर, राजगढ़, रायसेन, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.